Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में ग्राम विकास अधिकारी 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अक्टूबर,* मंगलवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भेरूलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोरण, पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी द्वारा ग्राम पंचायत गोरण, पं.स. झाड़ोल, उदयपुर में आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों को ऑनलाईन दर्ज करने की एवज में भेरूलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोरण, पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा **60 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतनसिंह राजपुरोहित** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल निवासी पुंजानगर, झाड़ोल फलासिया, जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोरण, पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।